International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 9 Issue 9 || September 2020 || PP. 74-76

प्रतिबद्ध नौकरषाही : भारतीय सन्दर्भ
(Committed Bureaucracy: The Indian Context)

डॉ0 राधिका देवी
असि0प्रोफेसर(राजनीति विज्ञान)
ए0के0पी0(पी0जी0) कॉलिज, खुर्जा
जिला–बुलन्दषहर (उ0प्र0)

संविधान निर्दिष्ट लक्ष्यों और आदर्शों के प्राप्ति के प्रशासकों की भूमिका मन्त्रियों और सांसदों से कम महत्वपूर्ण नहीं होती।[1] राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार के साथ–साथ सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में शासनतन्त्र का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। जिन दिनों सरकारें अहस्तक्षेप नीति में विश्वास करती थीं, उन दिनों राज्य का कार्यक्षेत्र मात्र शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था, परन्तु इन दिनों औद्योगिक क्रान्ति, तकनीकी विकास एवं लोककल्याणकारी समाजवादी विचारधारा अपनाए जाने से राज्य के कार्यक्षेत्र का असाधारण रूप से विस्तार हुआ है। वर्तमान समय में नागरिक जीवन का कोई भी पहलू राज्य के प्रभाव–क्षेत्र से बाहर नहीं है। राज्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं लोक सेवकों के माध्यम से ही अपने बढ़े हुए दायित्वों का निर्वाह करता है। किसी देश का संविधान और नीति–निर्माता मन्त्रीगण कितने ही अच्छे और योग्य क्यों न हों, परन्तु बिना दक्ष सेविवर्ग के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता। राज्य की नीतियां चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हों, उसके साथ अच्छे परिणाम तभी निकल सकते हैं, जब उन्हें कुशलतापूर्वक एवं सत्यनिष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जाए। वस्तुतः देश में अमन–चैन, व्यवस्था, स्थिरता और द्रुत आर्थिक विकास के लिए योग्य, दक्ष, क्षमताशील, प्रतिबद्ध प्रशासन होना नितान्त आवश्यक है।

प्रशासन : परिवर्तन और प्रगति का माध्यम
(ADMINISTRATION : AS THE AGENCY FOR CHANGE AND PROGRESS)

भारत जैसे विकासशील देश में प्रशासन की सरंचना, उसके प्रकार्य एवं उसकी मान्यताएं सरकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। भारत का विकास और प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि किस सीमा तक हमारी आर्थिक–योजनाएं सफल होती हैं, संसदीय विधियों का क्रियान्वयन होता है और समतायुक्त समाजवादी समाज की रचना होती है। प्रगति के लिए नित नये–नये कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का संकल्प करके हमने अपने प्रशासन–तन्त्र के कन्धों पर महान् दायित्व डाल दिये।[2] क्या हमारा प्रचलित प्रशासनिक ढांचा नूतन दायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेगा? सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी क्रान्ति के इस युग में रूढ़िवादी बर्तानवी संकल्पनाओं पर खड़ा शासन–तन्त्र क्या भारतीय समाज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर उसके आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा?

''प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को कैसे दूर किया जाएं? प्रशासक ग्रामीण भारत की जनता से अपना तादात्मय किस भाँति स्थापित करें, लोक सेवाओं की राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति कैसी प्रतिबद्धता या भावात्मक लगाव हो?''[3]

प्रतिबद्ध नौकरषाही : अभिप्राय
(COMMITTED BUREAUCRACY: MEANING)

प्रतिबद्ध नौकरशाही का दृष्टिकोण नौकरशाही के परम्परागत दृष्टिकोण 'तटस्थता' से जुड़ा हुआ है। भारत में लोक सेवा का परम्परागत गुण तटस्थता रहा है। तटस्थता एवं निष्पक्षता ब्रिटिश लोक सेवा की प्रमुख विशेषता रही है। इसके अन्तर्गत तीन बातें शामिल हैं–**प्रथम**, जनता को विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवा सभी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात एवं दबाव से मुक्त है। **द्वितीय**, मन्त्रियों को यह विश्वास होना चाहिए कि सत्ता में चाहे जो दल आए, लोक सेवा की उन्हें निष्ठा प्राप्त रहेगी। **तृतीय**, लोक सेवाओं के नैतिक साहस का आधार यह मान्यता है कि पदोन्नति या अन्य पुरस्कार राजनीतिक मान्यताओं या पक्षतपातपूर्ण कार्यों पर नहीं निर्भर करते बल्कि योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करते हैं।

ब्रिटेन में नौकरशाही की तटस्थता से अभिप्राय है कि राजनीति का कार्य नीतियों का निर्धारण होता है और प्रशासन का कार्य उन नीतियों के कार्यान्वयन का होता है। सरकारें बदलती रहती हैं, परन्तु प्रशासनिक अधिकारी स्थायी होते हैं और जो भी दल सत्ता में आता है, उसके द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करते है। सोवियत राजनेता उस

समय आश्चर्यचकित रह गये जब उन्होंने ब्रिटेन में यह देखा कि मजदूर मन्त्रिमण्डल के साथ भी वही प्रशासनिक टीम थी जो चर्चिल और उनके साथियों को सलाह देते थे।

नौकरशाही की 'प्रतिबद्धता' से दो अर्थ लिये जा सकते हैं : **प्रथम**, नीतियों और संवैधानिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता और **द्वितीय**, राजनीतिक दल एवं राजनेता के प्रति प्रतिबद्धता।

सभी प्रशासक यह चाहेंगे कि कार्यकुशलता, दक्षता, परिणाम–प्राप्ति या उत्पादन आदि क्षेत्रों में दो सम्पूर्ण निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध हों। लोक सेवक सरकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों के सम्बन्ध में अपने निष्पक्ष विचार रखें और जब नीतियों का निर्माण हो जाएं, तो सम्पूर्ण निष्ठा के साथ भावात्मक रूप से जुड़ जाएं। यदि 'प्रतिबद्धता' शब्द से यही आशय है तो उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। संविधान के मूल आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध होने से प्रशासकों को क्या आपत्ति हो सकती है? किन्तु प्रतिबद्धता के क्षेत्र में वास्तविक विरोध जिस प्रश्न पर है वह यह है कि क्या प्रतिबद्धता पद विशेष से मुड़कर व्यक्ति विशेष के प्रति हो सकती है? अथवा क्या प्रतिबद्धता के नाम पर प्रशासकों को जान बूझकर किसी विशेष विचारधारा के अनुसार काम करने के लिए विवश किया जा सकता हैं? क्या प्रतिबद्धता से अभिप्राय अपने राजनीतिक स्वामी की इच्छा और आकांक्षा के अनुसार अपने विचारों को ढ़ालते हुए उन्हें केवल वही परामर्श दें जो उन्हें पसन्द हों?[4]

प्रतिबद्ध नौकरशाही की व्यवस्था के महत्व :– प्रतिबद्ध नौकरशाही की व्यवस्था से अनेक लाभ हैं–**प्रथम,** इस तरह की व्यवस्था में प्रशासक सत्तारूढ़ दल की नीतियों के निर्माण में और उनकी क्रियान्विति में अधिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करेंगे अर्थात् वे असफलताओं से अपने आपको मुक्त नहीं रख सकेंगे। अतः यह व्यवस्था प्रशासनिक उत्तरदायित्व, अक्षमता, अनुशासनहीनता और अकर्मण्यता की स्थिति भंग करने में सहायक होगी। **द्वितीय,** राजनीतिक नेतृत्व अपने घोषणा–पत्र में निहित नीतियों के क्रियान्वयन में बाधक प्रशासकों को हटाने में भी स्वतन्त्र होगा। इससे प्रशासनिक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व के बीच आरोप–प्रत्यारोप की भावना का अन्त होने से प्रशासन से गतिरोध का अन्त होगा। **तृतीय,** इस व्यवस्था में प्रशासन के वरिष्ठ पदों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के एकाधिकार वाली स्थिति का भी अन्त होगा। द्वितीय श्रेणी के वे अधिकारी, जो सत्तारूढ़ राजनीतिक नेतृत्व की दृष्टि से प्रशासनिक क्षमता से परिपूर्ण हैं, उच्च पदों पर आसीन हो सकेंगे और राजनीतिक स्वायित्व के लिए अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को द्वितीय श्रेणी के पदों पर जाने के लिए भी कहा जा सकता है। **चतुर्थ,** भारत जैसे विकासशील देश के लिए जिसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तनों का सूत्रपात करना है, प्रशासन का यह स्वरूप जन भावना के अनुमन्य ही होगा। इस प्रशासन के माध्यम से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी नयी क्रिया प्रदान की जा सकेगी।[5]

प्रतिबद्धता : भारतीय सन्दर्भ
(COMMITMENT : THE INDIAN CONTEXT)

प्रतिबद्धता का यदि यह अभिप्राय लिया जाए कि सरकारी कर्मचारी सत्तारूढ़ दल के आदर्शों में अपने को रंग लें तो हम यही कहेंगे कि इस प्रकार का दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक नहीं है। लोकतन्त्र में सरकारें बदलती रहती है। इसलिए नौकरशाही नयी सामाजिक व्यवस्था व नयी अर्थव्यवस्था लाने का एक महत्वपूर्ण साधन अवश्य बनें। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है : **प्रथम,** संविधान के उन आदर्शों के प्रति जो सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देते हैं, नौकरशाही की पूर्ण प्रतिबद्धता जरूरी है। जातिवाद, भाई–भतीजावाद, सम्प्रदायवाद जैसी संकीर्ण मनोवृत्तियों से घिरा हुआ कोई प्रशासक नवीन समाज के निर्माण में सहायक नहीं बन सकता। **द्वितीय,** जब तक भारतीय गांव नहीं बदलेंगे भारत में परिवर्तन नहीं आ सकता। यहां प्रश्न यह उठता है कि वे सरकारी अफसर जो शहरी वातावरण में पले हैं और जिन्हें गांवों से सहानुभूति नहीं है, वे गांव के लिए क्या करेंगे? अतः ऐसी रोजगार नीति अपनायी जानी चाहिए कि लोक सेवाओं में अधिक–से–अधिक ग्रामोन्मुख प्रत्याशी शामिल हो जाएं जिससे कि जो लोग गांवों में काम करना चाहते हैं उन्हें अधिक अवसर मिले। ''लोक सेवाओं को सही रूप में सामान्य जनता के योग्य बनाने के लिए जरूरी है कि ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाएं जो गांवों में पैदा हुए हो या गांव को अच्छी तरह समझते हों।''[6] **तृतीय**, लोक सेवाओं को साधारण जनता से अलगांव की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। उन्हें जनता के साथ तादात्म्य स्थापित करने की आदत डालनी होगी। **चतुर्थ**, उच्च प्रशासनिक सेवा में भर्ती की परीक्षा का ढंग तथा परीक्षा का माध्यम ऐसा होना चाहिए, जिससे गांवों व समाज के सभी वर्गों के योग्य विद्यार्थी उच्च नौकरियों में प्रवेश पा सकें। यह नहीं कि इन सेवाओं में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिले जो उच्च या उच्च–मध्य वर्ग से सम्बन्धित हों, जिनके पिता ऊंचे अफसर हों तथा जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हों?[7] **पंचम**, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, आदि के प्रशिक्षण के तरीके बदले जाएं। **मसूरी**, दिल्ली या माउण्ट आबू पर प्रशिक्षण देने की बजाय उन्हें ऐसे स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जाएं जहां वे देश की आम जनता की समस्याओं से परिचित हो सकें। इनके पाठयक्रमों में ऐसी बातें शामिल की जाएं जिनसे उनमें राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता उत्पत्र हो सके।

निष्कर्षत : अच्छा प्रशासन प्रशासकों के स्तर और मानदण्ड पर निर्भर करता है। बहुत बार देखा गया है कि राजनीतिक सत्ताएं बदल गयीं फिर भी देश में प्रशासन का मूलभूत ढांचा बिखरने नहीं पाया। वर्तमान समय में हमें ऐसे प्रशासक चाहिए जो कि लोगों की अभिलाषाओं के प्रति उदासीन न हों। ये अभिलाषाएं, चाहें सामाजिक–आर्थिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी हों, चाहे प्रजातन्त्र सम्बन्धी, प्रशासन को राष्ट्रीय लक्ष्यों से प्रतिबद्ध करना समय, देश और काल की आवश्यकता है। क्या हमारे प्रशासनिक अधिकारी अपने को सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण की (सामाजिक दायित्व से प्रतिबद्धता) भावना के साथ प्रतिबद्ध कर प्रशासन को जनाभिमुखी बनाने में सार्थक योगदान देगें। प्रशासकों और प्रशासनिक चिन्तकों को इस प्रकार इस दिशा में सोचना चाहिए कि प्रतिबद्धता सामान्यज्ञ या विशेषज्ञ प्रशासक में से किसमें अधिक हो सकती हैं? सभी प्रशासकों को प्रतिबद्धता की स्थिति में रखने के स्थान पर क्या नीति–निर्माण में भाग लेने वाले उच्च प्रशासनिक अधिकारियों पर ही यह प्रतिबद्धता का दृष्टिकोण लागू करना तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक होगा। सामान्यज्ञ जो अपना विषय नहीं जानते स्वयं राजनीतिज्ञ की तरह अनभिज्ञ लोग हैं और उन्हें प्रतिबद्धता की सीमा में और बांध दिया गया तो क्या वे मन्त्रियों के अनुचर मात्र बन कर नहीं रह जायेगें?

अतः इतना निश्चित तोर पर यह कहा जा सकता है कि प्रशासन कल्याणकारी राज्य का एक सशक्त यन्त्र उसी समय बन सकता है जबकि देश के कल्याणकारी संविधान और उसकी उपलब्धि के लिए बनने वाली योजनाओं में प्रशासन का निष्ठापूर्ण और सक्रिय सहयोग हो। भारतीय सन्दर्भ में सहयोग की इस हार्दिकता को ही प्रतिबद्धता कहा जा सकता है।

❖❖❖

संदर्भ सूची :–

1- हरमन फाइनर, दि थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेण्ट, (मेथ्यूर, 1965), पृ0 713.

2- रॉबर्ट हार्डग्रेव (जूनियर), इण्डिया–गवर्नमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन ए डेवलपिंग नेशन, पृ0 65–71।

3- डॉ0 नरेन्द्र कुमार, सिंघई ने अपनी पुस्तक 'ब्यूरोक्रेसी : पोजिशन्स एण्ड पर्सन्स' में राजस्थान की नौकरशाही का व्यवहारवादी अध्ययन करते हुए यह पाया कि 62.6 प्रतिशत उच्च अधिकारी यह महसूस करते हैं कि देश के वर्तमान सामाजिक–आर्थिक वातावरण में लोकतन्त्र हानिप्रद व्यवस्था है। 56.2 प्रतिशत प्रशासनिक अधिकारी यह महसूस करते हैं कि हमारी वर्तमान दुर्दशा का कारण 'समाजवाद' पर अत्यधिक बल देना है। वे मानते हैं कि आर्थिक स्थिति के पिछड़ने का कारण सार्वजनिक उद्यमों पर बल देना है। 75 प्रतिशत अधिकारी यह कहते हुए पाए गए कि आर्थिक नियोजन की भारतीय विधि त्रुटिपूर्ण है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी नौकरशाही, लोकतन्त्र, समाजवाद और आर्थिक नियोजन से प्रतिबद्ध नहीं हैं, उनमें कम विश्वास करती है।
– नरेन्द्र कुमार सिंघई, ब्यूरोक्रेसी : पोजिशन एण्ड पर्सन्स, पृ. 288–300. पृ. 317.

4– अशोक मेहता की दृष्टि से लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार असम्बद्ध है। लोकतन्त्र में सरकारें बदलती हैं, अतः नौकरशाही के लिए बड़ा कठिन होगा कि वह किन विचारों के साथ प्रतिबद्ध रहे।

– दि इण्डियन पॉलिटिकल सांइस रिव्यू खण्ड–5 सं. 1, अक्टूबर, 1979–मार्च 1972, पृ. 50.

5– भारतीय प्रशासन – डॉ0 बी0एल0फड़िया पृ.. 274–275.।

6– सी.पी. भाम्भरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया (विकास, दिल्ली, 1973), पृ. 49–51।

7– डॉ0 रणजीतसिंह दरड़ा, भारतीय लोक प्रशासन (मेकमिलन, दिल्ली, 1973), पृ.375.

Reading Books–

1. डॉ. महोदव प्रसाद शर्मा, लोक प्रशासन : सिद्धान्त एवं व्यवहार, किताब महल, इलाहाबाद, 1971, पृ. 14।

2. कार्ल जे. फ्रेडरिक, कॉस्टीट्यूशनल गवर्नमेण्ट एण्ड डेमोक्रेसी (द्वितीय संस्करण, 1951) पृ. 57–58.

❖❖❖